

# उच्च उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी

## फर्द अहकाम

11/8/25

पत्रावली पेश हुई। वकील सायल उप० वकील सायल मुंकरमा को चलाना नहीं चाहते हैं इसलिए मु० नं० ५२/२०२३ उन्वानी लच्छो बनाम लक्ष्मण प्रामजा पत्रा श्लोट प्रेस में धारित किया जाता है। पत्रावली में दि० २५.०३.२३ को जारी अंतरिम अग्रगण्य आदेशा विद्वा मिल जाते हैं पत्रावली में केवल मुंकरमा होकर बाइ तमहील नं० से काम की जाकर मूल रावे के साथ शामिल प्रिसल रहे। आदेशा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Notepress  
11/8/25